संख्या-7/2016/1539एस0ची0उ0अनु0-1/16-2511/2013

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

विषय:-पेराई सत्र 2016-17 में क्रय किये जाने वाले गन्ने की कुल मात्रा पर चीनी मिलों के द्वारा दिये जाने वाले सोसायटी कमीशन की दर निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि गन्ना कृषकों/सहकारी गन्ना विकास समितियों के हित के दृष्टिगत पेराई सत्र 2016-17 हेतु सोसायटी कमीशन की दर अंकन रू0 4.50 प्रति कुन्तल निर्धारित किया जाय। तदनुसार उक्त निर्धारित दर के अनुसार पेराई सत्र 2016-17 में सोसायटी कमीशन का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2016/1539(1)एस0ची0उ0अनु0-1/16-2511/2013, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी) तथा लेखा परीक्षा-1/2, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (उन जनपदों में जहाँ चीनी मिलें स्थित हैं)
4 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0/ उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
5- समस्त उप गन्ना आयुक्त/उप चीनी आयुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ0प्र0।
7- चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in